IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

शोधार्थी– गणेश गिरी

शोध छात्र राजनीतिक विज्ञान

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा

ई–मेल आई0डी– ganeshgoswami267@gmail.com

सारांश –

भारत विविधता में एकता वाला देश है यहां भांति–भांति प्रकार के लोग एक साथ निवास करते है। भारत में कई धर्मों व सम्प्रदायों के लोग जिनकी अपनी–अपनी स्थानीय भाषाएं है उसके बावजूद भी यह सभी मिल–जुल कर एक साथ रहती है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक होता है। 15 अगस्त 1947 को अति संघर्षों के बाद भारत को स्वतन्त्रता मिलने के बाद, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव हुए राजनीतिक सत्ता की बागदोड़ भारतीयों के हाथ में आ गयी थी, भारत का अपना एक स्वयं द्वारा निर्मित संविधान भारत में बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। भारतीय राजनीति में उत्तराखण्ड की भी भागीदारी में अहम भूमिका है। उत्तराखण्ड में पुरूषों के साथ–साथ कंधे से कंधा लगाकर महिलाएं भी राजनीति में अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटी। भारतीय संविधान ने भी भारतीय महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को बढ़ाने और महिलाओं को मजबूत करने के लिए कानून बनाएं साथ ही साथ उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर महिलाओं के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर अनेक योजनाएं और अवसर प्रदान किये।

महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए साथ ही उनकी सुरक्षा भी अहम मुद्दा था चूंकि एक लम्बे समय से भारत पितृसत्तात्मक देश रहा जिसमें पुरूष को प्रधानता दी गयी और महिलाओं को उचित योगदान से वंचित रखा, और समय के साथ–साथ युग में बदलाव आया। पुरूष प्रधानता धीरे–धीरे धुधली होती चली गयी और धीरे–धीरे महिलाओं ने अपनी उस स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ती चली गयी जिसकी वह वास्तविकता में हकदार थी। महिलाओं की सुरक्षा और अवसर की समानता भारतीय संविधान व अन्य कानूनों के द्वारा तो प्रदान की गई किन्तु अपने इन लाभों को प्राप्त करने के उनको अपने अधिकार जानने के लिए, अपने अधिकारों और अवसरो

का उपयोग करने का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है जिससे कोई भी वर्ग चाहे महिला या पुरूष अपने अधिकारों को जानता है और अवसरों का लाभ उठाता हैं।

'शिक्षा' की मानव जीवन में अहम भूमिका है। शिक्षा ही एक मात्र कुंजी है जिसके द्वारा मनुष्य अपना बौद्धिक विकास करता है, और शिक्षा ही मानव की उन्नति में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा के अभाव में मानव जानवर के समान होता है, शिक्षित व्यक्ति न खुद का बल्कि अपने शहर, अपने देश के विकास में अपनी शिक्षा से प्राप्त ज्ञान का योगदान देता है और उन्नति और विकास की ओर अग्रसर होता है।[1]

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के अनुसार – ''शिक्षा शेरनी का दूध है जो पीएगा दहाड़ेगा''[2]

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार – ''स्वामी विवेकानन्द ने संसार को शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह कहकर बताया है कि शिक्षा मनुष्य के विद्यमान पूर्णता का प्रकाशन है।''[3]

शिक्षा के द्वारा ही हम सही को सही और गलत को गलत समझने और कहने का सार्मथ्य उत्पन्न कर पाते है। शिक्षा एक बहुमुखी विकास के स्रोत के समान है।

महिलाओं की शिक्षा की पूर्वस्थिति (संविधान से पूर्व) –

आजादी से पूर्व में भारत की महिलाओं की शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, रूढ़ीवादियों ने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया हुआ था और उनका सामाजिक स्तर निम्न कर दिया था।

भारत में सर्वप्रथम लड़कियों की शिक्षा के लिए सावित्री बाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा राव फूले के साथ मिलकर 1848 में पहला महिला विद्यालय खोला था जिसका रूढ़िवादियों द्वारा जमकर विरोध हुआ, किन्तु धीरे–धीरे समय में बदलाव आया और धीरे–धीरे महिलाओं की शिक्षा में सुधार आया, और उनकी शैक्षिक स्तर में वृद्धि हुई।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति (स्वतन्त्रता के बाद) –

भारतीय संविधान में महिलाओं के क्रमिक विकास के लिए विशेष प्रावधानों को निर्दिष्ट किया, उनके अधिकारों को समानता और उनकी राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए भी नयी–नयी योजनाओं का आवंटन किया। जिससे महिलाओं के वर्ग में विकास हो सके।

महिलाओं की शिक्षा की प्रस्थिति (उत्तराखण्ड) –

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में महिलाओं की संख्या 4962574 है जो भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या का 1 प्रतिशत है। जहाँ पुरूषों की साक्षरता दर 88.33 प्रतिशत है वही महिलाओं की साक्षरता दर 70.70 प्रतिशत है जिसमें दोनों के बीच 17.63 प्रतिशत का अन्तर साथ दिखाई देता है। महिलाओं शिक्षा के प्रति कोई ध्यान

नहीं देता है। पूर्व से प्रथा चला आ रही है कि महिलाएँ घरेलू कार्य के लिए ही बनी है। परंतु वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है।[4]

उत्तराखण्ड की महिलाएं समाजिक और पर्यावरण अन्दोलनों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रसिद्ध है इस तथ्य के बावजूद कि उनका जीवन मुख्यतः ईंधन, चारा और पानी के इर्द–गिर्द घूमता है।–

उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले में राजनीति में सहभागिता करने वाली प्रमुख महिलाएं निम्नलिखित है–

वर्तमान में अल्मोड़ा जिले में महिलाएं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है यहाँ कुछ प्रमुख महिला नेत्रियाँ और महिला मोर्चे हैः

महिला नेत्रियाँ–

रेखा आर्या –

श्रीमती रेखा आर्या उत्तराखंड व भारत की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा है। वर्तमान में वे उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं।

पारिवारिक व शैक्षणिक पृष्ठभूमि

रेखा आर्या का जन्म 15 दिसम्बर, 1978 को हुआ था। वे अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर तहसील के सुनाड़ी पोखरी गांव में जन्मीं थी। उनके पिता का नाम गोपाल राम है। वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में थे। रेखा आर्या के दो भाईयों में से एक भाई सी0आर0पी0एफ0 में व एक भारतीय सेना में सेवारत रहे। रेखा आर्या का विवाह गिरधारी लाल साहू से हुआ। गिरधारी लाल साहू राजनैतिक एवं व्यवसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इस राजनितिक दंपत्ति के 2 पुत्र व 1 पुत्री है।

पिता के मध्य प्रदेश में तैनात होने के कारण प्रारंभिक शिक्षा रेखा आर्य ने एम.पी से ही पाई। श्रीमती रेखा आर्या ने एम.कॉम की पढाई पूर्ण करने के बाद बी.एड किया। उनका सपना शिक्षिका बनने का था किन्तु समय के प्रवाह में उनके भाग्य ने करवट ली और वे राजनीति की चौखट में आ पहुंची।[5]

राजनीतिक सफर –

रेखा आर्या ने अपनी राजनीति जिला स्तर की राजनीति शुरु की। वर्ष 2003 में इन्होने अल्मोड़ा में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जिसमें इनकी विजय हुई और ये जिला अध्यक्ष बनीं। साल 2012 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने के कारण रेखा ने सोमेश्वर से निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यद्यपि उन्हें हार का सामना करना पड़ा लेकिन रेखा ने 15,000 से अधिक मत हासिल किए।

साल 2014 के उपचुनाव में रेखा आर्या कांग्रेस के कोटे से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचीं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले रेखा आर्या ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने भी उनपर भरोसा जताते हुए उन्हें विधानसभा चुनाव में सोमेश्वर विधानसभा सीट से टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में रेखा

आर्या की जीत हुई। इस चुनाव में, रेखा आर्या को 25260 और कांग्रेस के राजेंद्र बाराकोटी को 20320 मत मिले। इसी से उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 710 मतों से हराया।

सोमेश्वर विधानसभा सीट

- सोमेश्वर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखण्ड के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है।
- यह क्षेत्र अल्मोड़ा जिले में आता है। दरअसल, अल्मोड़ा जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में, पहला– अल्मोड़ा, दूसरा– द्वाराहाट, तीसरा– जागेश्वर, चौथा– रानीखेत, पांचवां– सल्ट और छठा– सोमेश्वर है।
- यह निर्वाचन क्षेत्र (सोमेश्वर) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।

उमा बिष्ट–

अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र के जिला पंचायत के पद पर उमा बिष्ट ने विजय प्राप्त की। नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट की पत्नी है। उमा बिष्ट ने अल्मोड़ा जिले विकास के लिए दिनरात काम किया। जिला पंचायत सदस्यों ने उन्हें जिस अपेक्षा से चुना था वे उस पर खरी उतरी।[6]

अल्मोड़ा के प्रमुख महिला मोर्चे–

- अल्मोड़ा महिला कांग्रेस– कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा
- भाजपा महिला मोर्चा अल्मोड़ा– भाजपा पार्टी की महिला शाखा
- अल्मोड़ा महिला आयोग– महिलाओं के अधिकारों और विकास के लिए काम करने वाली संस्था

ये महिला नेत्रियां व कुछ अन्य अज्ञात नेत्रियाँ और महिला मोर्चे अल्मोड़ा जिले में महिलाओं के विकास और सशक्किरण के लिए काम कर रहे है। उत्तराखण्ड में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी धीरे–धीरे बढ़ रही है लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है, कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित है–

1. उत्तराखण्ड विधानसभा में महिलाओं की भगीदारी 2022 के चुनावों में 26 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।

2. राजनीतिक दलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी यह 50 प्रतिशत बढ़ रहा है।

3. उत्तराखण्ड में महिला सशक्तिकरण में लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे है जैसे महिला सशक्तिकरण योजना, महिला हेल्पलाइन और महिला पुलिस थाना।

4. महिला नेतृत्व के लिए कई संस्थाओं औनर संगठनो का काम चल रहा है जैसे उत्तराखण्ड महिला आयोग, महिला कांग्रेस और महिला मोर्चा।

उत्तराखण्ड में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाने चाहिए जिसमें– महिला आश्रय, राजनीतिक प्रशिक्षा और जागरूकता अभियान शामिल हैं।

भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए कई अनुच्छेद समाविष्ट है जो निम्नलिखित है–

''**1. अनुच्छेद 14–** समानता का अधिकार (Right to Equality) यह अनुच्छेद महिलाओं को पुरूषों के साथ समान अधिकार देता है।

2. अनुच्छेद 15 (1) लिंग के आधार पर भेदभाव (Prohibition of Discrimination) यह अनुच्छेद लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबन्धित करता है।

3. अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान (Special Provision for Women) यह अनुच्छेद राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।

4 अनुच्छेद 16– समान अवसर (Equal Opportunities) यह अनुच्छेद महिलाओं को पुरूषों के साथ समान अवसर देता है।

5. अनुच्छेद 39– महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण (Social and Economic Empowerment of Women) यह अनुच्छेद राज्य को महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करने की अनुमति देता है।

6. अनुच्छेद 42– मातृत्व सुरक्षा (Maternity Rights) यह अनुच्छेद महिलाओं के मानवाधिकार प्रदान करता है।''[7]

इन अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय संविधान महिलाओं को समान अधिकार, सुरक्षा और सशक्तिकरण प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे संधोधन और कानून बनाए गए है जो महिलाओं को सुरक्षा व सशक्तिकरण प्रदान करते है–

1. ''हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
2. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
3. भारतीय दण्ड संहिता 1860 (धारा– 498A, 354, 376)
4. घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
5. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013''[8]

इन कानूनों और प्रावधानों से ज्ञात होता है कि भारतीय संविधान और सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

महिलाओं के राजनीति में शिक्षा का महत्व

1. सशक्तिकरण – शिक्षा महिलाओं को सूचित निर्णय लेने और अपने जीवन पर नियन्त्रण रखने में सक्षम बनाती है, जो राजनीति में करियर के लिए आवश्यक है।

2. आलोचनात्मक सोच – शिक्षा आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में मदद करती है। जिससे महिलाएं जटिल मुद्दो का विश्लेषण करने, साक्ष्य का मूल्यांकन करने और ठोस निर्णय लेने में सक्षम होती है।

3. आत्मविश्वास– शिक्षा आत्मविश्वास बढ़ाती है जिससे महिलाएं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाती है। खुद को प्रभावी ढ़ंग से व्यक्त कर पातील है और पुरूष प्रधान क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाती है।

4. ज्ञान– शिक्षा शासन, नीति निर्माण और नेतृत्व का ज्ञान प्रदान करती है। जो प्रभावी राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक है।

5. नेटवर्किंग– शिक्षा समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ने, नेटवर्क बनाने और राजनीतिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के अवसर प्रदान करती है।

6. विश्वसनीयता– शिक्षा विश्वसनीयता बढ़ाती है। जिससे महिलाएं मतदाताओं, सहकर्मियों और मतदाताओं के लिए अधिक भरोसेमन्द बन जाती हैं।

7. रोल मॉडलिंग– राजनीति में शिक्षित महिलाएं दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती हैं, शिक्षा और नेतृत्व के मूल्य को प्रदर्शित करती है।

8. नीतिगत प्रभाव– शिक्षित महिला राजनीतिज्ञ लेंगिक समानता, सामाजिक न्याय और मनावधिकारों को बढ़ावा देने वाली नीतियों की प्रभाव रूप से वकालत कर सकती है।

9. नेतृत्व कौशल– शिक्षा संचार, समस्या–समाधान और रणनीतिक सोच जैसे नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करती है।

10. बाधाओं को तोड़ना– शिक्षा महिलाओं को राजनीतिक में प्रवेश की बाधाओ को दूर करने, पारम्परिक लैंगिक भूमिकाओं और रूढ़ियों को चुनौती देने में मदद करती है।

11. पितृसत्तात्मक मूल्यों को चुनौती देना– शिक्षा महिलाओं को पारम्पिरिक लिंग भूमिकाओं और पितृसत्तात्मक मूल्यों को चुनौती देने में सक्षम बनाती है। जो उनकी राजनीतिक भागीदारी को बाधित करते है।

12. लचीलापन– शिक्षा महिलाओं को लचीलापन, दृढ़ता और अनुमूलन कौशल विकसित करने में मदद करती है।

13. चेतना को बढ़ाना– शिक्षा महत्वपूर्ण चेतना को बढ़ावा देती है, जिससे अपने जीवन और समुदायों को प्रभावित करने वाली प्रणालीगत असमानताओं और पूर्वाग्रहों को पहचान और सम्बोधित कर सकती है।

14. सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहित करना– शिक्षा महिलाओं को सक्रिय नागरिकता में शामिल होने, सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने और नेताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रोत्साहित करती है।

15. दमनकारी चक्रों को तोड़ना– शिक्षा महिलाओं को दमनकारी चक्रों को तोड़ने में मदद कर सकती है। जैसे कि गरीबी, हारीए पर रहना और उत्पीड़न, जिससे वे परिवर्तन की एजेंट बन सकती है।

16. वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा– शिक्षा वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करती है जिससे महिलाएं अन्तराष्ट्रीय मुद्दो को समझ सकती है। सीमाओं के पार सहयोग कर सकती है और वैश्विक चुनौतियो का समाधान कर सकती है।

17. भावनात्मक बुद्धिमता को पोषित करना– शिक्षा भावनात्मक बुद्धिमता को पोषित करती है जो प्रभावी संचार, सहानुभूति और राजनीति मे मजबूत संबंध बनाने के लिए आवश्यक है,

18. भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त बनाना– शिक्षित महिला राजनेता भविष्य की पीढ़ियों को राजनीति में करियर बनाने के लिए प्रेरित करती है और सशक्त बना सकती है जिससे नेतृत्व और परिवर्तन की एक स्थायी विरासत बन सकती है।

निष्कर्ष–

पितृसत्तात्मक बंधनों को तोड़कर महिलाओं ने अपना मार्ग प्रशस्त किया एक लंबे समय के बाद महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ और धीरे–धीरे महिलाओं ने पुरूषों के समान ही कंधे से कंधे मिलाकर अपनी राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने की ओर बढ़ रही है। संविधान के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा महिला को दिया गया आरक्षण महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। राज्य स्तर पर महिलाओं के लिए नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 33 प्रतिशत का आरक्षण था किंतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम अथवा महिला आरक्षण विधेयक भारतीय संसद से पारित हुआ। जो संविधान (106वां संविधान संशोधन) के द्वारा महिलाओं को संसद में भी 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गयी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. बुक्स एण्ड राईटिंग ऑफ अम्बेडकर
2. बुक्स एण्ड राईटिंग ऑफ अम्बेडकर
3. स्वामी विवेकानंद – माय आइडिया ऑफ एजूकेशन
4. www.wikipedia.com/census
5. www.wikipedia.com/uttarakhandminister
6. स्थानीय पत्र–पत्रिकाए
7. भारतीय संविधान
8. पारस दिवान– हिन्दु विधि